संख्या-17/2026/I/1230578/2026-68-5099/73/2024

प्रेषक,

सूर्यनाथ उपाध्याय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
शिविर कार्यालय, निशातगंज,
लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांक 06 फरवरी, 2026

विषय: जनपद-मेरठ में मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-शि0नि0(बे0)/59598-600/2025-26, दिनांक 15.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-मेरठ के अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के निर्माण हेतु तकनीकी समिति / लोक निर्माण विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त सिविल कार्यों हेतु अनुमोदित / संस्तुत लागत के सापेक्ष निम्नांकित विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

| क्र.सं. | जनपद | कार्य का नाम | कार्यदायी संस्था | प्राप्त आगणन की लागत (रू० लाख में) | परीक्षणोपरान्तं लागत (रू० लाख में) | लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित लागत (रू० लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meerut | Detailed Estimate Proposed Construction of Pre Primary to MukhyamantriAbhyuday Composite Vidyalaya At Village-Narangpur, Block-Prikshitgarh, Distt. Meerut. | UPSIDCO | 175.34 | 163.37 | 159.21 |

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-मेरठ के मुख्यमत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के निर्माण हेतु उपर्युक्त प्रस्तर-1 में अंकित कार्य हेतु तकनीकी समिति / लोक निर्माण विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त अनुमोदित / संस्तुत लागत धनराशि रू0 159.21 लाख (रुपये एक करोड़ उन्सठ लाख इक्कीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 95 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू० 151.2495 लाख (रुपये एक करोड़ इक्यावन लाख चौबीस हजार नौ सौ पचास मात्र) अवमुक्त कर व्यय किए जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. प्रश्नगत प्रायोजना का निर्माण कार्य नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (UPSIDCO) से कराया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025-बी-1-352/ दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेशों/ दिशा-निर्देशों / शर्तों एवं प्रतिबंधों का प्रतिबद्धता से अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था के प्राक्कलन / आगणन के तकनीकी समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त सिविल कार्यों हेतु आगणित लागत के संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्था से सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा में ही पूर्ण हो जाये।
5. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य / मद में किया जाएगा जिस मद/कार्य के लिए स्वीकृत की जा रही है।
6. लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से सम्परीक्षित लेखा अवश्य प्राप्त कर लिया जायेगा।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
9. प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा भविष्य में योजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
10. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
11. सेंटेज चार्जेज के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।
12. प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, समक्ष स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4202'-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01-सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-04-बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहद निर्माण कार्य' मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025-बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, जनपद-मेरठ।
5. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन /कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जनपद-मेरठ ।
8. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, जनपद-मेरठ ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (UPSIDCO)/संबंधित परियोजना प्रबन्धक।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/3, उ0प्र0 शासन।
12. बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।